<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज।</u>

परिवाद संख्या–2851 / 2019

UPMH04-007561-2019

रामबेलास––––––बनाम––––––कन्हैया व अन्य

<u>22.09.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। बार–बार पुकार कराने पर परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली विगत कई तिथियों से बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत चली आ रही है। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

अपर सिविल जज (अवर खण्ड),
कोर्ट सं0–03, महराजगंज।

लंचबाद–

पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई। पुकार कराये जाने पर परिवादी अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता हैं कि पत्रावली धारा–202 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य हेतु विगत कई तिथियों से नियत चली आ रहा है, किन्तु परिवादी द्वारा आज तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि परिवादी को विगत तिथियों पर न्यायहित में पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी, अपना परिवाद चलाना नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उक्त परिवाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सोनल सिंह)
अपर सिविल जज (अवर खण्ड),
कोर्ट सं0–03, महराजगंज।